# महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

## परीक्षा समिति की 31वीं बैठक का कार्यवृत्त

माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.08.2025 को अपराह्न 4:00 बजे महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के सभागार कक्ष में परीक्षा समिति की 31वीं बैठक आहूत की गयी। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत हैं–

| क्र0सं0 | नाम | संस्था का नाम | पद नाम | समिति दायित्व |
|---|---|---|---|---|
| 01 | प्रो0 संजीव कुमार | महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़। | कुलपति | अध्यक्ष |
| 02 | डॉ0 दिनेश कुमार तिवारी | डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़। | अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय | सदस्य |
| 03 | प्रो0 एस. ताहिर हसन | शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़। | अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय | सदस्य |
| 04 | प्रो0 बृजेश कुमार | श्री दुर्गा जी0 पी0जी0 कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़। | अधिष्ठाता, कृषि संकाय | सदस्य |
| 05 | प्रो0 देवेन्द्र प्रताप सिंह | कूबा महाविद्यालय दरियापुर, नेवादा,आजमगढ़। | अधिष्ठाता, कला संकाय | सदस्य |
| 06 | डॉ0 काजीनदीम आलम | शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़। | विधि संकाय | सदस्य |
| 07 | प्रो0 अफजाल अहमद | शिब्ली नेशनल कालेज, आजमगढ़। | शिक्षा संकाय | सदस्य |
| 08 | डॉ0 सर्वेश कुमार | श्री दुर्गा जी पी0जी0 कालेज, चण्डेश्वर, आजमगढ़। | | विशेष आमंत्रित |
| 09 | डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र | महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ। | कुलसचिव/ परीक्षा नियंत्रक | सचिव |

**मा0 कुलपति जी की अनुमति से कुलसचिव ने समस्त सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ की। बैठक में निम्नलिखित विषयों पर विचारोपरान्त निर्णय लिए गए–**

**मद संख्या 2025.31.1–** परीक्षा समिति की 30वीं बैठक दिनांक 09.04.2025 के कार्यवृत्त का सम्पुष्टीकरण।

**निर्णय–** समिति के सदस्यो द्वारा सर्वसम्मति से परीक्षा समिति की 30वीं बैठक दिनांकः 09.04.2025 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया तथा ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2023 की सम सेमेस्टर से विषम सेमेस्टर 2025 की परीक्षा तक परीक्षा में सामूहिक नकल में आरोपित हुए हैं, ऐसे महाविद्यालयों को रू0 50000.00 (पचास हजार) का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था। जिसमें से 14 महाविद्यालयों द्वारा उक्त अर्थदण्ड पूरा नही किया गया है। ऐसे महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के द्वारा इस आशय का पत्र जारी किया जाए कि तीन कार्य दिवस के भीतर ऐसे महाविद्यालय उक्त अर्थदण्ड विश्वविद्यालय में जमा कर दें। यदि उक्त अवधि के भीतर महाविद्यालयों द्वारा अर्थदण्ड जमा नही किया जाता तो उनके द्वारा रु0–100000.00 (एक लाख) अर्थदण्ड जमा किया जायेगा और यदि इसके बाद भी

26/8/25

किसी महाविद्यालय द्वारा अर्थदण्ड जमा नही किया जाता है तो उसे भविष्य में किसी भी परीक्षा में परीक्षा केन्द्र नही बनाया जाय।

**मद संख्या 2025.31.2–** सत्र 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त सेमेस्टर तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों के छूटी हुई प्रायोगिक, मौखिक एवं रिसर्च प्रोजेक्ट की परीक्षा एवं BA./ BSc./ BCom./ BBA Second semester सत्र– ऐसे छात्र जिन्होने पुनः कराये जाने पर विचार

निर्णय– सत्र 2022–23, 2023–24 तथा 2024–25 स्नातक एवं स्नातकोत्तर के समस्त सेमेस्टर तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों की छूटी हुई प्रायोगिक, आन्तरिक, मौखिक एवं रिसर्च प्रोजेक्ट की परीक्षा महाविद्यालयों से परीक्षा फार्म भरवाकर यथाशीघ्र परीक्षा सम्पन्न करा ली जाय।

**मद संख्या 2025.31.3–** ऐसे छात्र जिन्हें सत्र 2025–26 में पंचम (v) सेमेस्टर में जाना चाहिए परन्तु वे प्रथम सेमेस्टर में बैक होने के कारण पंचम (v) सेमेस्टर में प्रवेश नही ले पा रहे है, ऐसे छात्रों के स्पेशल बैक पेपर कराये जाने पर विचार तथा BA./ BSc./ BCom./ BBA Second semester सत्र– 2024–25 से पूर्व के ऐसे छात्र जिन्हें Co-Curricular Paper First Aid And Helth (Back Paper) की परीक्षा देनी थी परन्तु ऐसे छात्रों ने इसके स्थान Co-Curricular Paper Human value and Environment Study की परीक्षा दी है। ऐसे छात्रों के बैक पेपर की परीक्षा पुनः कराए जाने तथा उक्त पुनर बैक परीक्षा नए पैटर्न के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नपत्र से करायें जाने पर विचार।

निर्णय– ऐसे छात्र जिन्हें सत्र 2025–26 में किसी भी सेमेस्टर में (सेमेस्टर I से VI तक) बैक लगा अथवा फेल है। जिससे आगे के सेमेस्टर में प्रवेश नही ले पा रहे है। ऐसे छात्रों को प्रवेश की अनुमति इस शर्त के साथ दी जाती है कि छात्र कों सभी सेमेस्टरो में उर्त्तीण होने के उपरान्त ही डिग्री/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट या अन्य कोई उपाधि प्रदान की जायेगी। ऐसे छात्रों के लिए कोई विशेष परीक्षा नही करायी जायेंगी। बल्कि सम/विषम सेमेस्टर की परीक्षा के निर्धारण के समय ही उन छात्रों की परीक्षा भी साथ में ही करायी जाए, उसके लिए समय सारणी (Scheme) में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। तथा परीक्षा नए पैटर्न के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नपत्र से ही कराएं जाएंगे तथा उक्त Co-Curricular के छात्रों की स्पेशल बैक की परीक्षा प्रस्तावित विषम सेमेस्टर की परीक्षा के साथ पुनः आवेदन लेकर करा ली जाए।

**मद संख्या 2025.31.4–** सम सेमेस्टर 2024–25 में कुछ विषयों के प्रश्नपत्रों के लीक हो जाने के सम्बंध में समिति की संस्तुति पर विचार।

निर्णय– सम सेमेस्टर 2024–25 की परीक्षा में कुछ विषयों के प्रश्नपत्र लीक हुए, जिसमें मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान विषय थे। इन विषयों के लीक पेपर के लिए जिन लोगो को आरोपित पाया गया, जिसमें मनोविज्ञान में डॉ0 काजी आसिफ आलम दोषी पाये गये। जब इनका प्रकरण समिति में रखा गया उसी समय डॉ0 काजी आसिफ आलम के भाई डॉ0 काजी नदीम आलम जो समिति में पहले से उपस्थित थे, कुछ समय के लिए बाहर हो गये। विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा मनोविज्ञान विषय में दोषी पाये गये, ड़ॉ0 काजी आसिम आलम को परीक्षा संम्बन्धी सभी कार्य से 5 वर्ष के लिए वंचित किया गया तथा राजनीति विज्ञान में डॉ0 पवन

31
26/8/25

# महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

कुमार सिंह, रामबचन सिंह राजकीय महाविद्यालय, बंगली पिजडा, मऊ, डॉ0 मनोज कुमार वर्मा, संत गणिनाथ राजकीय महाविद्यालय, मोहम्मदाबाद, गोहना, मऊ, डॉ0 संतोष कुमार सिंह, डी0ए0वी0 पी0जी0 कालेज, आजमगढ़ के ऊपर परीक्षा सुचिता संबन्धित आरोप परिस्थितिजन्य साक्ष्य/संयोगिक साक्ष्य के दृष्टया उच्च शिक्षक मूल्यों के उच्च आदर्श के दृष्टिगत परीक्षा समिति द्वारा इन लोगो को 2 वर्षो के लिए परीक्षा सम्बंधित सभी कार्यो के लिए वंचित करने का निर्णय लिया गया।

**मद संख्या 2025.31.5–** परास्नातक फूड साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विषय के प्रश्नपत्र 50 अंक के पूर्णांक के स्थान पर 75 अंक के पूर्णांक प्रश्नपत्र बन गये थे। जिसे कार्यकारी आदेश के तहत समानुपातिक आधार पर प्राप्तांक परिवर्तित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है, तत्सम्बंध में परीक्षा समिति को सूचनार्थ प्रस्तुत।

**निर्णय–** परास्नातक फूड साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी विषय के प्रश्नपत्र 50 अंक के पूर्णांक के स्थान पर 75 अंक के पूर्णांक प्रश्नपत्र बन गये थे। जिसे कार्यकारी आदेश के तहत समानुपातिक आधार पर प्राप्तांक परिवर्तित कर परीक्षाफल घोषित कर दिया गया है, जिसे परीक्षा समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया।

**मद संख्या 2025.31.6–** डॉ0 विरेन्द्र यादव असि0 प्रो0 समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित) गॉधी शताब्दी पी0जी0 कालेज कोयलसा आजमगढ़, के आवेदन पर प्रकरण पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा डॉ0 विरेन्द्र यादव असि0 प्रो0 समाजशास्त्र (स्ववित्तपोषित) गॉधी शताब्दी पी0जी0 कालेज कोयलसा आजमगढ़, के आवेदन पर विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षकत्व से डिवार करने के प्रकरण पर विचार करते हुए डॉ0 विरेन्द्र यादव असि0 प्रो0 समाजशास्त्र को मूल्यांकन कार्य एवं अन्य परीक्षा कार्य से परीक्षा समिति की 31वीं बैठक दिनांक–26.08.2025 में लिए गये निर्णय से अवमुक्त करने हेतु एवं सत्र 2025–26 के आगामी विषम सेमेस्टर की परीक्षा बाद ही परीक्षा सम्बन्धी सभी कार्य कराए जाने का निर्णय लिया गया है।

**मद संख्या 2025.31.7–** ग्राम समाज पी0जी0 कालेज आजमगढ़, के पत्रांक–मेमो/परीक्षा/2025 दिनांक–13.06.2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित B.Sc./M.Sc. Agriculture के पाठ्यक्रमों वर्तमान में थ्योरी एवं प्रैक्टिकल दोनो में पृथक–पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रावधान के कारण कई ऐसे विद्यार्थी जिन्हें कुल मिलाकर अच्छे अंक प्राप्त होते है, उन्हें केवल किसी एक भाग (थ्योरी एवं प्रैक्टिकल) में अपेक्षाकृत कम अंक आने पर पेपर बैक अथवा अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। यह स्थिति न केवल छात्रों के मानसिक तनाव को बढ़ाती है, बल्कि उनकी शैक्षणिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है, जबकि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की 5वीं डीन समिति की सिफारिशों के अनुरूप नही है।

निर्णय– वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नियमानुसार Pass a candidate in particular paper must obtain a minimum of 50% marks (aggregate of theory mid-term and practical) सत्र 2021–22 BSc.Ag Hons. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर में कतिपय छात्र/छात्रा उत्तीर्ण घोषित किये गये थे। परन्तु महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के नियम To pass in a paper,33% of marks in theory and practical separately except remedial and non-gradial courses and 50% of aggregate for each paper.के आधार पर

26/8/25

उन छात्र/छात्राओं को अनुत्तीण घोषित कर दिया गया। ऐसे छात्र/छात्राओं को वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नियम के आधार पर उर्त्तीण कर दिया जाएं। लेकिन यह नियम केवल सत्र 2021–22 के BSc.Ag Hons. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के छात्रों पर ही लागू होगा। परन्तु इसके उपरान्त समस्त सेमेस्टर पर महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के ही नियम लागू होगे।

मद संख्या 2025.31.8– वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर (VBSPU) के सत्र 2021–22 B.Sc.Ag. Hons, I Semester के परिणाम के नियम के अनुसार Pass a candidate in particular paper must obtain a minimum of 50% marks (aggregate of theory mid-term and practical) अनिवार्य है।

महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (MSDU) के सत्र 2021–22 B.Sc.Ag. Hons. I Semester के परिणाम नियम के अनुसार To pass in a paper,33% of marks in theory and practical separately except remedial and non-gradial courses and 50% of aggregate for each paper.

सत्र 2021–22 BSc.Ag Hons. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के ऑर्डिनेंस के क्रम में पास घोषित किये जा चुके थे परन्तु महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के ऑर्डिनेंस के अनुसार बैक या फेल घोषित किये जा चुके है, ऐसे छात्रों पर विचार।

निर्णय– परीक्षा समिति द्वारा सम्यक् विचार करते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की सत्र 2021–22 BSc.Ag Hons. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के ऐसे छात्र जो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर के नियम के क्रम में पास घोषित किये जा चुके थे। परन्तु महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के नियम के अनुसार बैक या फेल घोषित किये जा चुके है, ऐसे छात्रों को समिति द्वारा सर्वसम्मति से पास करने का निर्णय लिया गया। लेकिन यह निर्णय केवल सत्र 2021–22 BSc.Ag Hons. प्रथम वर्ष, प्रथम सेमेस्टर के छात्रों पर ही लागू होगा।

मद संख्या 2025.31.9– अन्य बिन्दु माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माइनर विषय की परीक्षा कराए जाने पर विचार।

निर्णय– माइनर विषय पर परीक्षा समिति द्वारा सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि सत्र 2025–26 स्नातक प्रथम वर्ष में द्वितीय सेमेस्टर एवं द्वितीय वर्ष में चतुर्थ सेमेस्टर में ही माइनर विषय की परीक्षा कराया जाए।

(डॉ0 अंजनी कुमार मिश्र)
कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक

(प्रो0 संजीव कुमार)
कुलपति